



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2516 / री.ए.डी.एम / 2021

इन्दौर, दिनांक 31-5-2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय :- दिनांक 01 जून 2021 से इन्दौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों एवं अनुमति योग्य गतिविधियों के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक / 2491-2492 / री.ए.डी.एम. / 2021, इन्दौर, दिनांक 25.05.2021 तथा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग का आदेश क्रमांक एफ / 35-09 / 2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 29 मई 2021।

--00--

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके तारतम्य में जिला कायसेस मैनेजमेंट समिति आवश्यक निर्णय लेती है। जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए समय-समय पर कोरोना कफर्यू के प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। उक्त समस्त पूर्व के आदेशों को अधिकृमित करते हुए नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं, जो दिनांक 01 जून 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2), The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया जा रहा है, इसका पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस आदेश के तहत इन्दौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों तथा अनुमत्य गतिविधियां संचालित हो सकेगी। उनका विवरण निम्नानुसार है :-

अ- प्रतिबंधित गतिविधियां -

1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आदि गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।
4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल बंद रहेगे।

5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेकट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
6. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7. 15 जून 2021 तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
8. प्रत्येक शनिवार एवं रविवार जनता कफ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक गतिविधियां चल सकेंगी।
9. पूरे प्रदेश में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक नाईट कफ्यू रहेगा।
10. रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

ब- दिनांक 01 जून 2021 से निम्नानुसार गतिविधियां अनुमत्य गतिविधियों की श्रेणी में आएगी अर्थात् जो गतिविधियां इन्दौर जिले में संचालित हो सकेंगी –

1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को संबंधित उद्योग द्वारा दिए गये वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
2. उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
3. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्झ्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
4. पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
5. बैंक एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
6. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
7. बैंक, इन्झ्योरेस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs, Cooperative credit societies, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।
8. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
9. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
10. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
11. ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

12. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
13. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे।
14. एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।
15. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी।
16. मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
17. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
18. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
19. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
20. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
21. फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
22. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
23. आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी एवं निजी वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
24. जिले के समस्त खाद, बीज, कीटनाशक संस्थान एवं आउटलेट सोमवार से शुक्रवार प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेंगे।
25. जिला एवं इन्दौर शहर में कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण संबंधी दुकानें सप्ताह में दो दिन अर्थात् मंगलवार एवं गुरुवार प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेंगी। शनिवार एवं रविवार के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में इन संस्था के संचालक अपनी दुकानों से भिन्न गोदामों से माल बाहर भेज सकेंगे।
26. चश्मे की दुकानें एवं चश्मा रिपेयर सेंटर सप्ताह में पांच दिन प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित कर सकेंगे।
27. समस्त आटा चक्की सप्ताह में पांच दिन प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेंगी।
28. दूध वितरण प्रातः 06.00 बजें से 10.00 बजें तक तथा सायं 05.00 बजें से 8.00 बजें तक हो सकेगा इस समयावधि में दूध डेरी खुल सकेंगी।

29. गरीबों के राशन संबंधी उचित मूल्य की दुकाने (कंट्रोल दुकानें) प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक खुल सकेगी।
30. किराना एवं ग्रोसरी संबंधी सभी खेरची दुकाने सप्ताह में पांच दिन प्रातः 12.00 बजें तक खुल सकेगी। किराना तथा ग्रोसरी की थोक दुकाने जो मुख्यतः सियागंज, मल्हारगंज, छावनी, मालवामिल एवं अन्य स्थानों पर स्थित है, ये सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार, शुक्रवार प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक खुल सकेगी। इन थोक दुकानों पर माल की बिकी फोन पर आर्डर लेकर मॉल वाहनों से की जावेगी तथा ग्राहकों का इन चार क्षेत्रों की दुकानों में आना प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहकों के पाए जाने पर ऐसी थोक दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में अतः मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को इन थोक दुकानों के उक्त वर्णित चार क्षेत्रों में मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
31. फल एवं सब्जी, चलायमान ठेलो के माध्यम से बिकी की जा सकेगी। चौईथराम फल—सब्जी मंडी एवं निरंजनपुर फल—सब्जी मंडी बंद रहेगी तथा सम्पूर्ण जिले में हाट—बाजार पद्धति से फल—सब्जी विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इन्दौर शहर के चारों ओर चिन्हित सात स्थानों से ठेला संचालन विक्रय हेतु फल सब्जी प्राप्त कर सकेंगे। यह विक्रय प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक किया जा सकेगा।
32. सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं इन्दौर जिले में नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं भी हाट—बाजार, का संचालन नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय एस.डी.एम. ऐसे सभी पूर्व में लगने वाले हाट बाजार क्षेत्रों में उनके अधीन विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाएंगे ताकि पुलिस के सहयोग से इन निर्देशों का पालन किया जा सके।
33. सभी प्रकार के शासकीय एवं अशासकीय सिविल निर्माण संबंधी गतिविधि प्रारंभ हो सकेगी। चूंकि इन्दौर जिले की साप्ताहिक औसत पॉजीटिविटी दर पांच प्रतिशत से अधिक है इस कारण निर्माण स्थल परिसर में ही श्रमिकों/कर्मी के रुकने की व्यवस्था निर्माण कर्ता के द्वारा किया जाना बाध्यकारी हो गा।
34. निर्माण से जुड़ी विभिन्न अन्य गतिविधी संबंधी दुकाने जैसे सिमेंट, सरिया, रेत—गिट्टी, सेनेट्री दुकानें, इलेक्ट्रीकल दुकाने तथा बिजली इक्यूपर्मेंट रिपेयर, हार्डवेयर दुकाने, टाईल्स दुकानों, पेंट दुकानें आदि सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार, शुक्रवार प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेगी। इसी प्रकार कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर भी अपनी सेवाएं आमजन को दे सकेंगे। इस कण्डिका में उल्लेखित दुकानें सप्ताह के अन्य दिनों में दुकान से भिन्न गोदाम से माल सप्लाय कर सकेंगे।
35. भारी वाहन तथा अन्य पैसेंजर दो पहिया वाहन/साईकल के रिपेयर हेतु मैकेनिक/वाहन रिपेयरिंग सेंटर तथा सर्विस सेंटर सप्ताह में पांच दिन प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेगी। वाहनों की बॉडी बिल्डिंग संस्थान तथा पंचर रिपेयर संस्थान भी सप्ताह में पांच दिन अर्थात् सोमवार से शुक्रवार उक्त समयावधी में संचालित हो सकेंगे।
36. ग्रामीण क्षेत्रों में एकल दुकानें भी सप्ताह में पांच दिन प्रातः 08.00 बजें से सायं 05.00 बजें तक संचालित हो सकेगी।
37. विभिन्न व्यापारों के संचालकगण के गोदाम शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित है तथा इस सम्पूर्ण जनता कफर्यू की अवधी में गोदाम गतिविधियों पर कभी भी

- प्रतिबंध नहीं रहा है। विभिन्न व्यापार से जुड़े संचालक उनकी दुकान से भिन्न क्षेत्र में स्थित गोदाम से मॉल वाहन से माल बाहर भेज सकते हैं किन्तु ऐसे संस्थान जहां गोदाम दुकान में ही स्थित है उन पर यह कंडिका लागू नहीं है।
38. वैक्सीनेशन केन्द्रों तक आवाजाही भी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
39. पशु एवं पक्षी के आहार संस्थान भी प्रातः 08.00 से सायं 05.00 बजें तक खोले जा सकेंगे।

दिनांक 01 जून 2021 से उक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जा रहा है, यह सात दिवस उपरांत जिले की कोरोना संक्रमण की स्थिति अनुसार पुनः रिव्यू ह किया जाएगा ताकि अन्य गतिविधियों को खोलने एवं वर्तमान गतिविधियों जो खोली जा रही है, उसमें अगर उल्लंघन के कारण संक्रमण बढ़ने की संभावना दिखती है, तब उस पर पुनः समग्र स्थितियों के मान से विचार किया जावेगा।

साथ ही उच्च जोखिम समूह जैसे – उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल संचालक एवं स्टॉफ, घर में कामवाली महिलाएं, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी/गल्ला मंडी के व्यापारी एवं स्टॉफ, हाथ-ठेला वाले, दूध वाले, वाहन चालक, साईड मजदूर, मॉल, मोटर, रेस्टोरेंट स्टॉफ, शिक्षक, केमेस्ट, बैंकर्स, सुरक्षा गार्ड, जीम/सैल्यून वर्कर का कोविड टीकाकरण भी युद्ध स्तर पर कराया जाना है। आयुक्त, नगर निगम, इन्डौर ए.डी.एम./एस.डी.एम./नगर निगम अमले के माध्यम से उक्त सभी उचित जोखिम समूह के एसोसिएशन से संपर्क करवा 18+ के विशेष सेशन (सत्र) शासन के निर्देशानुसार आयोजित करवा जाना सुनिश्चित करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में इन उच्च जोखिम समूह से आवश्यक सामंजस्य सी.ओ. जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा तथा सी.ओ. जिला पंचायत के अभियंत अनुसार आयुक्त नगर निगम, इन्डौर ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धारित स्थानों पर 18+ टीकाकरण के वेक्सीन सेशन साईट प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

इस आदेश के माध्यम से जो भी गतिविधियां प्रारंभ की जा रही है उन सभी स्थानों पर क्षेत्रीय एस.डी.एम. स्वास्थ्य विभाग के अमले सुपर्विजन में अनिवार्य रूप से नियमित कोविड जांच हेतु सेंट्री करवाएंगे।

कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन –

1. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस” प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रतिबंधों से सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा आदि में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी

शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

3. किसी भी व्यवसायीक दुकान आदि में 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। अगर यह पाया जाता है कि किसी दुकान पर 6 से अधिक लोग एकत्रित हैं तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. किसी भी व्यवसायीक स्थल / कार्यक्षेत्र में मास्क का पालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाईजेशन का पालन करवाना संबंधित संचालक की रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 31/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



(मनीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31-5-2021

पृ०क्र०/2517/री०ए०डी०एम०/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन -1-2-3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।
11. एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना..... जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.